

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली-110124

सं. 457/07/ कल्याण-आईटी 2016-17

दिनांक 13/07/2016

सेवा में,

संबंधित विक्रेता

विषय: सर्वर एवं इनके प्रतिष्ठापन की आपूर्ति के लिए उद्धरण।

महोदया/महोदय,

इस कार्यालय अर्थात् भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल, उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 में निम्नलिखित सर्वर एवं रैक की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन, विन्यास एवं स्थापना हेतु प्रतिष्ठित विक्रेताओं से सीमित निविदा जांच के माध्यम से मुहरबंद उद्धरण आमंत्रित किए जाते हैं:

सर्वर 1

| क्रम. सं. | घटक | विवरण | मात्रा |
|-----------|------------------|--|--------|
| 1 | प्रोसेसर | सर्वर इन्टेल ई5-2600 वी-4 सिरीज प्रोसेसर एट कोर की 2 संख्या के साथ होना चाहिए | |
| 2 | चिपसेट | सी610 | |
| 3 | मेमोरी | सर्वर 32 जीबी x4=128 जीबी डीडीआर 4 मेमोरी 2400 एमटी/ज आरडीआईएमएमज 384 जीबी तक विस्तारित होना चाहिए | |
| 4 | डीआईएमएम स्लाट | 12 डीआईएमएम स्लाट: 2जीबी/4 जीबी/8 जीबी/16 जीबी/32 जीबी डीडीआर 4 डीआईएमएम 2400 एमटीज तक | |
| 5 | मेमोरी प्रापर्टी | उन्नत ईसीसी मेमोरी सुरक्षा, मेमोरी मिररिंग या समतुल्य | |
| 6 | हार्ड डिस्क | 5x1.2 टीबी 10 के आरपीएम एसएसएस12 जीबीपीएस 2.5 इन हाट प्लग हार्ड ड्राइव | 01 |
| 7 | ड्राइवस | 8 हाट प्लग हार्ड ड्राइव तक के साथ | |

| | | |
|----|----------------------------|---|
| | | 2.5" चेजिज |
| 8 | इन्टरएक्टिव डायग्नोस्टिक्स | इन्टरएक्टिव एलसीडी |
| 9 | आरएआईडी कन्ट्रोलर | इन्टीग्रेटिड हार्डवेयर आरएआईडी कन्ट्रोलर और रेड 0,1,5,10 समर्थित होना चाहिए |
| 10 | ओप्टिकल ड्राइव | डीवीडी-आरडब्ल्यू |
| 11 | ग्राफिक्स कन्ट्रोलर | न्यूनतम 8 एमबी मेमोरी |
| 12 | इथरनेट पोर्ट्स | 4x1 जीबीई |
| 13 | एक्पेंशन स्लाट | न्यूनतम 2 पीसीआई-ई 3.0 समर्थित विस्तारण स्लाट |
| 14 | रिमोट प्रबन्धन | <p>विक्रेता को सन्निहित फीचर प्रदान करने होंगे जो प्रत्यक्ष रूप से सर्वर का प्रबन्धन करने में मदद करेंगे।</p> <p>स्थानीय और रिमोट परिवेश, इनबैंड या आउट आफ बैंड परिचालन, सिस्टमस प्रबन्धन साफ्टवेयर एजेंट के साथ या बिना, जिसमें पावर प्रबन्धन, आवश्यक लाइसेंस शामिल होना चाहिए। इसे रिमोट लिखित पुनः आकृति टूल्स को समर्थित करना चाहिए। सभी सिस्टमस घटकों को मानीटर करने में समर्थ होना चाहिए (बीआईओएस, एचबीएज, एनआईसीज और सीएनएज) ।</p> |
| 15 | अतिरिक्त पावर आपूर्ति | डुअल, हाट प्लग अतिरिक्त पावर आपूर्ति (1+1), 550 वाट |
| 16 | विफलता चेतावनी तंत्र | सर्वर घटकों को अधिकतम संख्या पर अलम्बित विफलताओं की चेतावनी देने में समर्थ होना चाहिए। चेतावनी देने के तंत्र के अन्तर्गत कवर घटकों में कम से कम प्रोसेसर, मेमोरी, पीसीएलई स्लाट, वीआरएम, पावर आपूर्ति, फैन, हार्ड डिस्क ड्राइव होने चाहिए। |
| 17 | फोर्म फैक्टर | 1 यू से अधिक नहीं |
| 18 | ओएस समर्थन | माइक्रोसाफ्ट विन्डोज सर्वर 2008/2012 |

| | | |
|----|----------------|--|
| | | एसपी2, x86/x64 (x64 में हाइपरवी® शामिल है) माइक्रोसाफ्ट विन्डोज सर्वर 2008/2012 आर2, x64 (हाइपर-V शामिल) नोवेल® एसयूएसई® लिनक्स एन्टरप्राइस सर्वर रेड हैट® एन्टरप्राइस लिनक्स वीएम वेयर वी स्फीयर |
| 19 | सर्वर प्रबन्धन | स्मार्ट सन्निहित सिस्टमस प्रबन्धन डिस्कवरी डिप्लाय मानीटर जैसे कार्यों को स्वचालित रूप से कर सकेंगे और अद्यतन जीवन चक्र प्रबन्धन के लिए ऐजेंटों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ओएस एगनोस्टिक होना चाहिए एकल कंसोल प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए ताकि सर्वर पावर प्रबन्धन तंत्र को प्रबंधित किया जा सके-एकल इंटरफेस ताकि सर्वरों के लिए प्रत्येक प्रयोग के लिए एड नियंत्रक को अधिकतम किया जा सके और रेक्स तीसरे पक्ष के प्रबंधन तंत्र को एकीकृत करने में सक्षम होने चाहिए। |
| 20 | वारंटी | 3 वर्ष 24x7, व्यापक आनसाइट वारंटी, सीपीयू, मेमोरी और हार्ड डिस्क पर पूर्व विफलता वारंटी |
| 21 | सुपुर्दगी | सभी आवश्यक टूल्स एवं टेक्लस लाइसेंस, केबल/एथरनेट के लिए जोड़/फाइबर/यूएसबी/पावर इत्यादि जो सिस्टम को परिचालित करने के लिए आवश्यक हों को बोलीदाता द्वारा प्रदान किया जाएगा। |
| 22 | नोट | विक्रेता को हर घटक के भाग की संख्या देनी होगी जो ओईएम के साथ दो तरफा सत्यापित की जाएगी |
| 23 | रेल्स | केबल प्रबन्धन, आमर्स और सर्वर को रैक माउंट करने के लिए रैल्स के साथ आपूर्ति की जानी चाहिए। |

सर्वर 2

| क्रम. सं. | घटक | विवरण | मात्रा |
|-----------|---------------------------|--|--------|
| 1 | प्रोसेसर | सर्वर इन्टेल ई5-2600 वी-4 सिरीज प्रोसेसर क्वाड कोर की 2 संख्या के साथ होना चाहिए | 01 |
| 2 | चिपसेट | सी610 | |
| 3 | मेमोरी | सर्वर 32 जीबी x4=128 जीबी डीडीआर 4 मेमोरी 2400 एमटी/ज आरडीआईएमएमज 384 जीबी तक विस्तारित होना चाहिए | |
| 4 | डीआईएमएम स्लाट | 12 डीआईएमएम स्लाट: 2जीबी/4 जीबी/8 जीबी/16 जीबी/32 जीबी डीडीआर 4 डीआईएमएम 2400 एमटीज तक | |
| 5 | मेमोरी प्रापर्टी | उन्नत ईसीसी मेमोरी संरक्षण, मेमोरी मिररिंग या बराबर | |
| 6 | हार्ड डिस्क | 5x1.2 टीबी 10 के आरपीएम एसएसएस12 जीबीपीएस 2.5 इन हाट प्लग हार्ड ड्राइव | |
| 7 | ड्राइवस | 8 हाट प्लग हार्ड ड्राइव तक के साथ 2.5 चेजिज | |
| 8 | इन्टरएक्टिव डायगनोस्टिक्स | इन्टरएक्टिव एलसीडी | |
| 9 | आरएआईडी कन्ट्रोलर | इन्टीग्रेटिड हार्डवेयर आरएआईडी कन्ट्रोलर और रेड 0,1,5,10 समर्थित होना चाहिए | |
| 10 | ओप्टिकल ड्राइव | डीवीडी-आरडब्ल्यू | |
| 11 | ग्राफिक्स कन्ट्रोलर | न्यूनतम 8 एमबी मेमोरी | |

| | | |
|----|-----------------------|--|
| 12 | इथरनेट पोर्टस | 4x1 जीबीई |
| 13 | एक्पेंशन स्लाट | न्यूनतम 2 पीसीआई-ई 3.0 समर्थित विस्तारण स्लाट |
| 14 | रिमोट प्रबन्धन | <p>विक्रेता को सन्निहित फीचर प्रदान करने होंगे जो प्रत्यक्ष रूप से सर्वर का प्रबन्धन करने में मदद करेंगे।</p> <p>स्थानीय और रिमोट परिवेश, इनबैंड या आउट आफ बैंड परिचालन, सिस्टमस प्रबन्धन साफ्टवेयर एजेंट के साथ या बिना जिसमें पावर प्रबन्धन, आवश्यक लाइसेंस शामिल होना चाहिए इसे रिमोट लिखित पुनः आकृति टूल्स को समर्थित करना चाहिए सभी सिस्टमस घटकों को मानीटर करने में समर्थ होना चाहिए (बीआईओएस, एचबीएज, एनआईसीज और सीएनएज) ।</p> |
| 15 | अतिरिक्त पावर आपूर्ति | डुअल, हाट प्लग अतिरिक्त पावर आपूर्ति (1+1), 550 वाट |
| 16 | विफलता चेतावनी तंत्र | सर्वर घटकों को अधिकतम संख्या पर अलम्बित विफलताओं की चेतावनी देने में समर्थ होना चाहिए। चेतावनी देने के तंत्र के अन्तर्गत कवर घटकों में कम से कम प्रोसेसर, मेमोरी, पीसीएलई स्लाट, वीआरएम, पावर आपूर्ति, फैन, हार्ड डिस्क ड्राइव होने चाहिए। |
| 17 | फोर्म फैक्टर | 1 यू से अधिक नहीं |
| 18 | ओएस समर्थन | माइक्रोसाफ्ट विन्डोज सर्वर 2008/2012 एसपी2, x86/x64 (x64 में हाइपरवी® शामिल है) माइक्रोसाफ्ट विन्डोज सर्वर 2008/2012 आर2, x64 (हाइपर-V शामिल) नोवेल® |

| | | |
|----|----------------|--|
| | | एसयूएसई® लिनक्स एन्टरप्राइस सर्वर रेड हैट® एन्टरप्राइस लिनक्स वीएमवेयर वी स्फीयर |
| 19 | सर्वर प्रबन्धन | स्मार्ट सन्निहित सिस्टमस प्रबन्धन डिस्कवरी डिप्लाय मानीटर जैसे कार्यो, को स्वचालित रूप से कर सकेंगे और अद्यतन जीवन चक्र प्रबन्धन के लिए ऐजेंटों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ओएस एगनोस्टिक होना चाहिए एकल कंसोल प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए ताकि सर्वर पावर प्रबन्धन तंत्र को प्रबंधित किया जा सके-एकल इंटरफेस ताकि सर्वरों के लिए प्रत्येक प्रयोग के लिए एड नियंत्रक को अधिकतम किया जा सके और रेक्स तीसरे पक्ष के प्रबंधन तंत्र को एकीकृत करने में सक्षम होने चाहिए। |
| 20 | वारंटी | 3 वर्ष 24x7, व्यापक आनसाइट वारंटी, सीपीयू, मेमोरी और हार्ड डिस्क पर पूर्व विफलता वारंटी |
| 21 | सुपुर्दगी | सभी आवश्यक टूल्स एवं टेक्लस लाइसेंस, केबल/एथरनेट के लिए जोड़/ फाइबर/यूएसबी/पावर इत्यादि जो सिस्टम को परिचालित करने के लिए आवश्यक हों को बोलीदाता द्वारा प्रदान किया जाएगा। |
| 22 | नोट | विक्रेता को हर घटक के भाग की संख्या देनी होगी जो ओईएम के साथ दो तरफा सत्यापित की जाएगी |
| 23 | रेल्स | केबल प्रबन्धन, आमर्स और सर्वर को रेक माउंट करने के लिए रेल्स के साथ आपूर्ति की जानी चाहिए। |

| | | | |
|----|-----|--|--|
| 1. | रैक | मानक रैक जेसा उपरोक्त सर्वरों के लिए अपेक्षित हो | |
|----|-----|--|--|

2. केवल वह विक्रेता आवेदन करे जो वास्तव में 2-3 सप्ताह में सर्वर एवं रैक की आपूर्ति कर सकते हैं।

3. निदेशक (कार्मिक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110124 को संबोधित 'सर्वर और रैक की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन, विन्यास एवं परीक्षण के लिए उद्धरण' लिखे हुए मुहरबंद कवर 26.07.2616 को या इससे पूर्व 3:00 बजे अपराहन तक व्यक्तिगत रूप से इस कार्यालय के 3^{रें} तल पर कक्ष संख्या 305 में श्री परवेज हसन, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (कल्याण-आईटी) को प्रस्तुत किए जाएंगे और **उसी दिन 4:00 बजे अपराहन बोली खोली जाएगी।** निविदा की आवश्यक निबंधन एवं शर्तें अनुबंध (संलग्न) में सूचीबद्ध हैं। इस निविदा जांच की प्रति इस कार्यालय की वेबसाइट <http://www.saiindia.gov.in> पर भी उपलब्ध हैं।

भवदीय

(परवेज़ हसन)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (क.सू.प्रौ)

अनुबंध

(निबंधन एवं शर्तें)

1. यह कार्यालय निम्नतम संविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है तथा इसे बिना कोई कारण बताए एक या सभी प्राप्त संविदाओं को अस्वीकृत करने का अधिकार है। किसी भी संदर्भ में अपर्याप्त या अपूर्ण अथवा निर्दिष्ट शर्तों को पूरा न करने वाली संविदाएँ अस्वीकृति की दायी है। संविदाकार/विक्रेता द्वारा किसी भी रूप में पक्ष प्रचार करने का परिणाम उनकी निविदाओं की अस्वीकृति होगा।
2. अपेक्षित हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर के निर्माण, मॉडल, टाइप एवं विस्तृत विनिर्देशन उद्धरण में स्पष्ट रूप से वर्णित होना चाहिए। प्रत्येक अपेक्षित मदों के विभिन्न निर्माण एवं मॉडलों का विकल्प भी बेहतर चयन के लिए संबंधित दरों के साथ उद्धरित किया जा सकता है। वारंटी, सुपुर्दगी अवधि, सस्थापन प्रभार यदि कोई हो एवं कर प्रावधान आदि जैसे अन्य विवरण के साथ ही साथ डाटा विस्थापन प्रभार यदि अपेक्षित हो तो वो भी सूचित किया जाना चाहिए।
3. निविदाकार/ठेकेदार द्वारा ऐसे प्रमुख संगठन/सरकारी विभागों के आदेशों/पत्रों की प्रतियां जिसके पास निविदाकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे उत्पादों का व्यवसाय/आपूर्ति की है, प्रस्तुत की जानी चाहिए।
4. निविदाकार/फर्म आपूर्ति/सेवाओं के लिए दिल्ली/एनसीआर बिक्री/सेवा कर विभाग में पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकरण संख्या आदि दर्शाने वाली प्रमाणीकरण की प्रतियाँ निविदा/उद्धरण के साथ प्रस्तुत होनी चाहिए।
5. निविदाकार का कुल कारोबार ₹ 01 करोड़ या इससे अधिक का होना चाहिए। जहां पर भी आवश्यक हो वहां पिछले तीन वित्तीय वर्षों की विक्रेता/फर्म के लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रतियों के साथ आईटी रिटर्न/बैलेंस शीटों की प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।
6. निविदाकार/फर्म को टीआईएन/पीएनएन संख्या आदि की प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए।
7. यदि आवश्यक हो तो ओईएम से अनिवार्य प्राधिकरण प्रमाणपत्र निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

8. पीएओ, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के पक्ष में आहरित क्रॉसड डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ₹25,000 (मात्र पचीस हजार रूपए) तक की बयाना जमा राशि (ईएमडी) प्रस्तुत की जानी चाहिए।
9. इसके बाद ठेकेदार के रूप में संदर्भित सफल निविदाकार को कुल करार मुल्य के 10% के बराबर राशि के लिए 'बैंक गारंटी' प्रस्तुत करनी है जिसे वारंटी/समर्थित अवधि की समाप्ति पर जारी किया जाएगा।
10. सभी तकनीकी सवाल/शिकायत जो भी अनिश्चित हो, को सम्पूर्ण वारंटी/समर्थित अवधि के दौरान शीघ्रता पूर्वक निपटाना चाहिए।
11. विक्रता/ठेकेदार द्वारा उपयोक्ता की आवश्यकता तथा स्थिति के आधार पर निशुल्क आवश्यक प्रशिक्षण, जो एकैक हो सकता है अथवा अलग अलग खण्डों में, का प्रबन्ध किया जाएगा।
12. समग्र वारन्टी/समर्थन अवधि के दौरान संबंधित उपयोक्ताओं के लिए अथवा माँग आधार पर जब भी आवश्यकता हो, हार्डवेयर/साफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए आवश्यक आरंभिक प्रशिक्षण/समर्थन सेवाओं का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।
13. यदि संविदाकार कार्यभार को पूरा करने में विफल होता है या वारन्टी/समर्थन अवधि के दौरान संतोषजनक सेवाएं प्रदान नहीं करता है तो उसको दिया गया ठेका नोटिस दिये बिना अथवा उसके लिए कोई कारण बताये बिना रद्द कर दिया जाएगा तथा बैंक गारंटी को आंशिक रूप से या पूरा भुनाया जाएगा ओर उसको देय राशि यदि कोई हो तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। इस संदर्भ में, निदेशक (कार्मिक) का निर्णय अंतिम होगा तथा संविदाकार के लिए बाध्यकारी होगा।
14. यदि कोई चूक देखी जाती है या वारंटी/समर्थन अवधि के दौरान उपयोगकर्ताओं द्वारा कोई शिकायत की जाती है तो विलंबित सुधार या किसी अन्य कारण की वजह से कार्य की किसी अव्यवस्था के लिए मुआवजे की उगाही पर ठेकेदार से जुर्माना दावा लागू करके इस कार्यालय के निदेशक (कार्मिक) द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

15. विक्रेता आदेश में दिए गए अन्यथा को छोड़ कर इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी से पूर्व लिखित सहमति के बिना कार्य को पूर्ण तथा अंशतः सबलेट नहीं करेगा। यदि ऐसी सहमति दी गई है तो यह ठेकेदार को ठेके के अंतर्गत किसी जवाबदेही या उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करेगी तथा वह अपनी तथा अपने एजेंटों के नौकरों अथवा श्रमिकों के कार्यों, चूको तथा लापरवाहियों के लिए उत्तरदायी होगा।
16. ठेकेदार संविदा की अवधि के दौरान कामगारों के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए अथवा जनता की सुरक्षा एवं अन्य बीमा प्रावधानों के लिए दिल्ली की एनसीटी सरकार अथवा केंद्रीय सरकार अथवा इस कार्यालय एवं अन्य सभी स्थानीय प्राधिकरणों के विनियमों तथा सहायक कानूनों, राज्य विधायिका तथा संसद द्वारा बनाए गए विभिन्न मजदूर अधिनियमों में दिये गए प्रावधानों तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, भविष्य निधि विनियम इत्यादि के अंतर्गत दिये गए नियमों सहित बनाए गए कानूनों के अनुरूप तथा अनुपालन करेगा।
17. ठेकेदार संविदा के क्रियान्वयन के समय अपने कामगारों/इंजीनियर अथवा कार्यालय परिसर में अन्य व्यक्तियों को तथा सम्पदा के किसी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के लिए किसी देयता के विरुद्ध इस कार्यालय की क्षतिपूर्ति करेगा।

(परवेज हसन)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (क.सू. प्रौ)